



Phone&Fax:-0135-253154/2531072

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

E-Mail-eicpwduk@nic.in

Website-http://govt.ua.nic.in/pwd



पत्रांक:- 78 / 76याता0 (क)-उ0 / 2017

दिनांक: 04/10/17

सेवा में,

- | | |
|---|--|
| <p>1- मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0,
देहरादून / टिहरी / पौड़ी / हल्द्वानी /
अल्मोड़ा / पिथौरागढ़।</p> <p>3 मुख्य अभियन्ता स्तर-।।
पी0एम0जी0एस0वाई0,
देहरादून / अल्मोड़ा</p> <p>5 अधीक्षण अभियन्ता
ए0डी0बी0, यू0एस0आर0आई0पी0 आपदा,
आई0आई0टी0पार्क,
देहरादून।</p> | <p>2- मुख्य अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग, लो0नि0वि0,
देहरादून / हल्द्वानी।</p> <p>4 अधीक्षण अभियन्ता
ए0डी0बी0, यू0एस0आर0आई0पी0
देहरादून।</p> |
|---|--|

विषय: मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में कार्ययोजना के सम्बन्ध में दिनांक 31.08.2017 को अपर परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड, की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त का अनुपालन आख्या।

संदर्भ परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक 5526/प्रवर्तन/स0सु0/1-8(7)/2017 दिनांक 06.09.2017 (संलग्न)

कृपया संलग्न उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके अन्तर्गत मा0 समिति द्वारा पूर्व में प्रेषित कार्ययोजना को संशोधित करते हुए संशोधित कार्ययोजना गठित करने के निर्देश दिये गये हैं। जिसमें वार्षिक लक्ष्यांक का निर्धारण करते हुये वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों की आवश्यकताओं का उल्लेख किया जाना है। उपरोक्त की सूचना संलग्न Format पर अपने अधिनस्थ अधिकारियों से संकलित कर नोडल अधिकारी (Road Safety)/अधीक्षण अभियन्ता नवां वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून को (Mail Id.sepwddun@rediffmail.com) पर अग्रिम प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(आर0सी0पुरोहित)
मुख्य अभियन्ता स्तर-।।(मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संज्ञानार्थ/सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय को संज्ञानार्थ प्रेषित।
- 2- प्रमुख सचिव/सचिव परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- रीजनल आफिसर, एन0एच0ए0आई0, बलवीर रोड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि एन0एच0ए0आई0 उत्तराखण्ड के अन्तर्गत मार्गों से संबन्धित सूचना संलग्न प्रपत्र पर संकलित कर अधीक्षण अभियन्ता, दसवां वृत्त राष्ट्रीय राजमार्ग, लो0नि0वि0 देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 6- कमाण्डेन्ट, बी0आर0ओ0, शिवालिक परियोजना आई0डी0पी0एल0 वीरभद्र ऋषिकेश इस आशय से प्रेषित कि उत्तराखण्ड के अन्तर्गत बी0आर0ओ0 के अधीन मार्गों से संबन्धित सूचना संलग्न प्रपत्र पर पर संकलित कर अधीक्षण अभियन्ता, दसवां वृत्त राष्ट्रीय राजमार्ग लो0नि0वि0 देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 7- अधीक्षण अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त लो0नि0वि0 हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित कि कुमांउ जोन के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संबन्धित मार्गों की सूचना संलग्न प्रपत्र पर संकलित कर अधीक्षण अभियन्ता, दसवां वृत्त राष्ट्रीय राजमार्ग लो0नि0वि0 देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 8- अधीक्षण अभियन्ता, दसवां वृत्त राष्ट्रीय राजमार्ग लो0नि0वि0 देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उत्तराखण्ड के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग लो0नि0वि0 से संबन्धित गढ़वाल व कुमांउ क्षेत्र तथा उत्तराखण्ड के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधीकरण संबन्धित मार्गों की तथा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत बी0आर0ओ0 के अधीन मार्गों की सूचना संलग्न प्रपत्र पर संकलित कर नोडल अधिकारी (Road Safety) / अधीक्षण अभियन्ता नवम वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 9- नोडल अधिकारी (Road Safety)/अधीक्षण अभियन्ता नवम वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

मुख्य अभियन्ता स्तर-।। (मुख्यालय)

दिनांक 31-08-2017 को अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में बैठक का कार्यवृत्त:-

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

परिवहन विभाग:-

- 1- श्री नरेश संगल, सहायक निदेशक, सड़क सुरक्षा, मुख्यालय।
- 2- श्री हीरा सिंह बर्गली, सहायक निदेशक, सड़क सुरक्षा, मुख्यालय।
- 3- श्री धर्मपाल सिंह, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय।

लो0नि0वि0/पीएमजीएसवाई/एनएचएआई:-

- 1- श्री आर0सी0 अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- 2- श्री आर0सी0 शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, नेशनल हाईवे, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- 3- श्री जे0पी0 गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/सदस्य लीड एजेन्सी।
- 4- श्री आर0के0 कलवार, सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- 5- श्री एम0के0 मित्तल, अधीशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई, देहरादून।
- 6- श्री एम0एस0 गुलाटी, सहायक अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई, देहरादून।
- 7- श्री अंशुल शर्मा, उप प्रबंधक, एन0एच0ए0आई0, देहरादून।
- 8- श्री संजय कुमार, टीम लीडर, आई0सी0टी0, एन0एच0ए0आई0, देहरादून।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित अधिकारियों का परिचय प्राप्त करते हुए बैठक का शुभारम्भ किया गया। सहायक निदेशक, सड़क सुरक्षा द्वारा मा0 सड़क सुरक्षा समिति के द्वारा इंजीनियरिंग सम्बन्धी दिये गये निर्देशों एवं दिनांक 28-06-2017 को उक्त निर्देशों के सापेक्ष कृत कार्यवाही की आख्या के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण किया गया। बैठक में प्रत्येक बिन्दु पर विस्तार से चर्चा करते हुए निम्नवत् निर्देश दिये गये:-

- 1- मा0 समिति द्वारा पूर्व प्रेषित कार्ययोजना को संशोधित करते हुए संशोधित कार्ययोजना गठित करने के निर्देश दिये गये हैं, जिसमें वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण करते हुए, वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों की आवश्यकताओं का ही उल्लेख किया जाए। अतः कृपया संशोधित कार्ययोजना का आलेख यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाए ताकि संकलित कार्ययोजना मा0 समिति एवं भारत सरकार को प्रेषित की जा सके। इस अवसर पर इन्टरनेट के माध्यम से डाउनलोड की गयी पश्चिम बंगाल राज्य की कार्ययोजना की प्रति भी लो0नि0विभाग को उपलब्ध करायी गयी।
- 2- यह भी निर्देश दिये गये कि लोक निर्माण विभाग, सड़क बनाने वाली सभी एजेन्सियों का नोडल विभाग है, अतः कार्ययोजना में लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त पीएमजीएसवाई, डीजीबीआर, एनएच (पीडब्लूडी) तथा एनएचएआई के बिन्दुओं का समावेश भी कर लिया जाए।
- 3- राज्य राजमार्गों एवं अन्य सड़कों के सम्बन्ध में लीड एजेन्सी द्वारा ब्लैक स्पॉट के चिन्हीकरण, सुधारीकरण एवं अनुश्रवण के सम्बन्ध में संशोधित प्रोटोकॉल एवं वार्षिक कलैण्डर का निर्धारण किया जाना है। इस सम्बन्ध में लो0नि0विभाग स्तर से संशोधित प्रोटोकॉल/कलैण्डर प्रस्तुत करने के निर्देश विगत बैठक में दिये गये थे,

परन्तु अभी तक उक्त वांछित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में माह सितम्बर, 2017 के अन्त तक संशोधित कार्ययोजना एवं प्रोटोकॉल उपलब्ध कराने पर सहमति प्रदान की गयी।

- 4- पूर्व में विन्हित ब्लैक स्पॉट के सम्बन्ध में एनएचएआई द्वारा डाटा में कुछ विरसंगति होने से अवगत कराया गया। इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि माह सितम्बर 2017 के द्वितीय सप्ताह में लो0नि0वि0 द्वारा सभी कार्यदायी संस्थाओं के साथ एक बैठक कर ली जाएगी और उक्त बैठक में सभी बिन्दुओं के साथ-साथ सूचनाओं का मिलान करते हुए संशोधित सूचना प्रेषित की जाएगी। यह भी निर्देश दिये गये ब्लैक स्पॉट सुधारीकरण की अद्यतन स्थिति की सूचना भी प्रेषित की जाए।
- 5- रुपये 10.00 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं में रोड सेफ्टी आडिट अनिवार्य किये जाने के सम्बन्ध में यद्यपि लो0नि0विभाग एवं पीएमजीएसवाई द्वारा निर्देश प्रसारित किये गये हैं, परन्तु उक्त योजनाओं का विवरण भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः निर्देश दिये गये कि सभी कार्यदायी संस्थाओं का अधिकारितावार विवरण भारत सरकार के प्रारूप 2.2 के अनुसार प्रेषित किया जाए।
- 6- मा0 सड़क सुरक्षा समिति द्वारा ऐसे स्थल जहाँ ओवर स्पीड के कारण दुर्घटनाएं हो रही है, पर ट्रैफिक कामिंग तकनीक लगाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के सम्बन्ध में सूचना प्रारूप 2.3 पर दी जानी है। अतः निर्देश दिये गये कि विन्हित स्थलों की कुल संख्या और उनमें से कितने स्थानों पर ट्रैफिक कामिंग तकनीक स्थापित कर दी गयी है, का विवरण अंकित करते हुए, सूचना प्रेषित की जाए।
- 7- मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा यथानिर्देशित इंजीनियरिंग वर्किंग ग्रुप की संस्तुतियों का क्रियान्वयन के सम्बन्ध में भी आख्या प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करायी जाए। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराया गया कि उक्त संस्तुतियों संभवतः सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाईट पर उपलब्ध है।
- 8- सभी कार्यदायी संस्थाओं में कार्यरत अभियन्ताओं को रोड सेफ्टी आडिट का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है और इस हेतु वार्षिक कलैण्डर निर्धारित किया जाना है। इस सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिये गये कि प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था के अधिकारियों से वार्ता कर ली जाए और यदि उक्त अधिकारी देहरादून में ही उपस्थित होकर प्रशिक्षण उपलब्ध करा सकते हैं तो सभी अभियन्ताओं को शीघ्रता से प्रशिक्षण प्रदान कराया जा सकेगा। लो0नि0वि0 द्वारा इस सम्बन्ध में सहमति व्यक्त करते हुए शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया गया।
- 9- मार्गों के किनारे लगे ऐसे होर्डिंग्स, आब्जैक्ट, जो वाहन चलाने में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में सूचना लो0नि0वि0 एवं शहरी विकास विभाग से अद्यतन स्थिति की सूचना भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिये गये कि नगर निगम/न0पा0 सीमा के अन्दर की सूचना शहरी विकास विभाग तथा उससे बाहर

की सूचना लो0नि0विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी, ताकि सूचना की डुप्लीकेसी की स्थिति उत्पन्न न हो। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि राज्य सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रत्येक 06 माह में एक बार सर्वेक्षण की कार्यवाही करते हुए सूचना समिति को प्रेषित की जाय।

- 10- बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि माह अक्टूबर, 2017 में एक वृहद सेमीनार/कार्यशाला का आयोजन प्रस्तावित है, जिसमें मा0 मुख्यमंत्री जी को भी आमन्त्रित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्यशाला भारत सरकार के तत्वाधान में आयोजित की जानी है, जिसमें स्टोक होल्डर विभागों द्वारा सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में उनके विभाग से सम्बन्धित कार्यों का प्रस्तुतीकरण किया जाना है। अतः निर्देश दिये गये कि कृपया लो0नि0वि0 द्वारा प्रस्तावित प्रस्तुतीकरण का आलेख माह सितम्बर, 2017 के अन्त तक इस कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि तदनुसार सेमीनार आयोजन के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।


(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या-5526/प्रवर्तन/स0सु0/1-8(7)/2017

दिनांक 06 सितम्बर, 2017

उपरोक्त की प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
- 4- रीजनल आफिसर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
- 5- कमान्डेंट, सीमा सड़क संगठन, शिवालिक परियोजना, आईडीपीएल, वीरभद्र, ऋषिकेश।
- 6- मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण विकास विभाग, (पीएमजीएसवाई), उत्तराखण्ड।
- 7- उपस्थित अधिकारीगण।

जारी किया।
Ravi
07/09/17


(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

Activity No.-

Safety Committee/Road safety Auditor

[illegible]

[illegible]

Activity No.-3

Action plan - Road Safety Audit of works costing above Rs. 10.00 Cr

[illegible]

Activity No.-4(i)

(5)

Activity No.-4(ii)

As per recommendation of District Road Safety Committee/Road safety Auditor

[illegible]

Activity No.-5

Note- This information has to be sent two times in a year in the month of June and December.

Action plan - Training for Road Safety

Sl. No	Total number of Engineers	Training completed upto 12/2016	Year 2017		Year 2018		Year 2019		Year 2020		Remarks
			Target	Achievement	Target	Achievement	Target	Achievement	Target	Achievement	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(Central verges, railing grills, speed breakers, rumble strips, signages, cross-over for Pedestrians as per recommendation of Road Safety Auditor)

[illegible]

Activity No.-8

(10)

Activity No.-9

(11)

Activity No.- 10

(12)

Activity No.- 11

[illegible]

